



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032022-234179
CG-DL-E-14032022-234179

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 14, 2022/फाल्गुन 23, 1943

No. 1]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 14, 2022/PHALGUNA 23, 1943

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2022

आ.अ. 1(अ).—यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी, और तारीख 14 मार्च, 2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा पंजाब राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे श्री सुखदेव सिंह, श्री प्रताप सिंह बाजवा और श्री श्वेत मलिक के, 09.04.2022 को उनकी पदावधि के अवसान पर सेवानिवृत्त होने से राज्य सभा में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए, उक्त सदन हेतु तीन सदस्य निर्वाचित कर दें:

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

- | | |
|--|--------------------------------|
| (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख | - 21 मार्च, 2022 (सोमवार) |
| (ख) नाम निर्देशनों की संविधा की तारीख | - 22 मार्च, 2022 (मंगलवार) |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख | - 24 मार्च, 2022 (गुरुवार) |
| (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, | - 31 मार्च, 2022 (गुरुवार), और |
| (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा | - 02 अप्रैल, 2022 (शनिवार), और |

(आ) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

[फा. सं. 318/रा.स.-पंजाब/1/2022/(1)]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2022

O.N. 1(E).—Whereas, the President of India has, by notification issued under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on 14th March, 2022 been pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Punjab to elect three members to the Council of States from Punjab to fill the vacancies in that House to be caused due to retirement of Sh. Sukdev Singh, Sh. Partap Singh Bajwa and Sh. Shwait Malik, on 09.04.2022, on expiration of their term of office;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

(A) appoints, with respect to the said election;

- (a) the 21st March, 2022 (Monday), as the last date for making nominations;
- (b) the 22nd March, 2022 (Tuesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 24th March, 2022 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 31st March, 2022 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 02nd April, 2022 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours from **09:00 am to 04:00 pm**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the above mentioned State on the date specified above for the election.

[F. No. 318/CS-PB/1/2022(1)]

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.